

12/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपाय बहस प्राप्ता सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्राप्ता पेश कट निवेदन किया है कि मूल वाद दिनांक 28-11-24 को प्राप्ता 06A 17 की कार्यवाही हेतु नियत था। वादी के अधिभाषण अन्य न्यायालय में व्यक्त होने से नियत पेशी को उपस्थित नहीं हो सके तथा वादी को पेशी की जानकारी नहीं होने से हजिरी नहीं हो सके जिससे वादी का वाद अद्य हाजिरी अदम पेशी में खारिज कट दिया गया। जबकि वादी उक्त वाद में नियमित पेशीकारी कट रहा है तथा वादी के हित निहित है जिससे दिनांक 28-11-24 को सिविल पारिषद् आदेश अपास्त किया जाकर वाद पुनः पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाये।

अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिभाष उपस्थित होकर वादी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार कर मूल पुनः नम्बर पर लिखे गये पर कोरे आपरिषद् नहीं होगा स्वीकार किया है। न्यायादित में वादी का हाजिरी प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिया गया है। यह प्राप्ता पत्र प्रेषित सुमाट होम मूल वाद के साथ नहीं हो।

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर